न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2022 दायर दिनांकः 01/02/2022

उनवान

धन्नीबाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व. दुर्गालाल जाति चमार निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश दिनाकः 16/02/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 39 की ख0नं0 500 रकबा 0. 18 है0 किता 1 रकबा 0.18 है0 आराजी प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थिया का नाम धुलीबाई पत्नी दुर्गालाल दर्ज है। जो गलत नाम है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 40 की ख0नं0 499 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 620 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 621 रकबा 5.12 है0, ख0नं0 622 रकबा 0.18 है0 किता 4 रकबा 5.51 है0। जिसमें प्रार्थिया का सही नाम धन्नीबाई पत्नि दुर्गालाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थिया का सही नाम धन्नीबाई पत्नि दुर्गालाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का गलत नाम धुलीबाई पत्नि स्व. दुर्गालाल दर्ज होने की वजह से प्रार्थिया को काफी परेशानियां को सामना करना पडता है। तथा सरकार की योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए प्रार्थिया प्रार्थना पत्र की

मद नं0 1 में वर्णित आराजी में धुलीबाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल जाति चमार निवासी हानीहेडा के स्थान पर दुरूस्त करवाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी व प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित दस्तावेजात के अनुसार धन्नीबाई पत्नि स्व. दुर्गालाल जाति चमार निवासी हानीहेडा दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलाल प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम धुलीबाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल को दुरूस्त कर धन्नीबाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्यवादी पेश न कर सीधे ही बहस करना चाहते है।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 39 की ख0नं0 500 रकबा 0.18 है0 में प्रार्थिया का नाम धुलीबाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल को दुरूस्त कर धन्नीबाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संवत 2072—2075 की जमाबन्दी ग्राम हानीहेडा के खाता संख्या 39 के ख0नं0 500 रकबा 0.18 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में धुलीबाई पत्नि स्व. दुर्गालाल दर्ज है। खाता संख्या 40 किता 4 रकबा 5.51 है0 में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में धन्नीबाई पत्नि स्व. दुर्गालाल दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र में धन्नी बाई पत्नि दुर्गा लाल, राशन कार्ड में धन्नी बाई पत्नि दुर्गालाल, बैंक डायरी बारां केद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में धन्नी बाई पत्नि दुर्गालाल, आधार कार्ड में धन्नी बाई ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र दिनांक 07.01.2022 अनुसार धन्नीबाई व धुलीबाई पत्नि दूर्गालाल जाति बैरवा दोनो नाम एक ही महिला के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 39 की ख0नं0 500 रकबा 0.18 है0 में सहखातेदार धुली बाई पत्नि स्व0 दुर्गालाल के स्थान पर धन्नी बाई पत्नि स्व0 दूर्गालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां